By Regd. Post

CGM(Project)/ Regional CPIO
Sir, may kindly be seen. 27/2/24.
2292
Sh. Rajendra Jee

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील।

सेवा में,

श्रीमान् प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यकारी निदेशक (उ0क्षे01)
पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, उ0क्षे0 1 मुख्यालय
एस0सी0ओ0 बे, संख्या 5–10, सैक्टर–16ए, फरीदाबाद
(हरियाणा)–121002

प्रथम अपील सं0 सन् 2024 ई0!

रामकुमार चौधरी, चौधरी भवन, डिफेन्स कालोनी, मोहनपुरा मौहम्मदपुर, परगना व तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार (मो0नं0 9719919400)। –अपीलकर्ता।

बनाम

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी) एवं पदनामित सी0पी0आई0ओ0, पावरग्रिड,उ0क्षे0–1 मुख्यालय,एस0सी0ओ0 बे,संख्या 5–10, सैक्टर–16ए, फरीदाबाद (हरियाणा)–121002 । ––रेस्पोन्डेन्ट।

श्रीमान् जी,

अपीलकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के अन्तर्गत निम्नवत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन करता है–

1– यह कि अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/सक्षम अधिकारी, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,उ0क्षे0 1 मुख्यालय एस0सी0ओ0 बे,संख्या 5–10,सैक्टर–16ए, फरीदाबाद (हरियाणा)–121002(मय संलग्न आवेदनपत्र शुल्क) एंव प्रतियों का अनुमानित शुल्क के रूप में ₹ 300/–के 3 भारतीय पोस्टल आर्डर प्रत्येक ₹ 100/–, प्रेषित करके बिन्दु सं0 1 से 7 तक की बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि की वांछना की थी। (स्वप्रमाणित आवेदन पत्र की छाया प्रति <u>संलग्नक–1</u>)। जो कि लोक सूचना अधिकारी महोदय के कार्यालय में बजरिये रजि0 डाक प्रेषित होकर प्राप्त हुई है।

2– यह कि अपीलकर्ता लोक सूचना अधिकारी महोदय के स्तर से वांछित <u>सूचना/प्रमाणित</u> छाया प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु लगातार प्रत्याशा में चला आता रहा, किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक –पावरग्रिड/उ0क्षे0–1/आर0टी0आई0/2292/420,दिनांक14–2–2024 (छाया प्रति संलग्नक-2) द्वारा कोई भी सन्तोषजनक सूचना या उत्तर प्रेषित नहीं की,जो कि उनके लिये उचित एवं आवश्यक था। लोक

रामकुमार चौधरी

सूचना अधिकारी महोदय के स्तर से वांछित सूचना/ प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां प्राप्त न होने पर अपीलकर्ता व्यथित होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा है।

3– यह कि अपीलकर्ता ने आवेदन पत्र में वांछित सूचनायें सद्भावी तौर पर चाही हैं, जो कि लोक अभिलेख(**Public document**)हैं, जिन्हें जानने व प्राप्त करने का मुझ अपीलकर्ता को अधिकार है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होता है। महोदय,अपीलकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां देने/दिलाने के लिये के लिये सक्षम अधिकारी हैं।

विधिक स्थिति–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 Official secret Act, 1923 पर over ride प्रभाव रखता है। वांछित सूचना गोपनीय प्रकार की नहीं हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा सिविल अपील संख्या 22/2009,केनरा बैंक द्वारा उपमहाप्रबन्धक बनाम सी0एस0 श्याम व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 31–08–2017 का उदाहरण दिया है, जबकि महोदय, उक्त आदेश में यह भी उल्लेख है कि यदि चाही गयी सूचनाओं में व्यापक लोक क्रिया–कलाप व हित निहित है, तो लोक सूचना अधिकारी महोदय द्वारा स्वविवेक पर निर्णय लेकर वांछित सूचनायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं,

इसके अतिरिक्त यह भी प्राविधान है कि सूचना जो कार्यालय में उपलब्ध हो, याची को प्रदत्त की जानी चाहिये। (जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य, 2008 (एन0ओ0सी0) 2143(इलाहाबाद)।

महोदय,सूचना का अधिकार, मूल अधिकार होने के कारण, ईप्सा की गयी सूचना प्राधिकारी द्वारा इसके लिये सन्तोषजनक कारण दिये बिना रोकी नहीं जा सकती है।(भगतसिंह बनाम मुख्य सूचना आयोग,2008(64) ए0आई0सी0 284)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ञ)में यह भी प्राविधान है कि–'परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया जा सकेगा।'

4– यह कि लोक सूचना अधिकारी महोदय ने अपने पत्र दिनांक 14–02–2024 द्वारा केवल नकारात्मक उत्तर ही दिया है और कोई भी अभिलेखीय सूचना/ प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करायी है, जबकि चाही गयी सूचनाओं में व्यापक लोक क्रिया–कलाप व हित निहित है,

5– यह कि मात्र 7 बिन्दुओं में से बिन्दु सं0 1,3,4,5 के बारे में तो सूचना का

2111अंग्रेजी

अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत होना बताकर सूचना देने से साफ मना कर दिया है तथा बिन्दु सं0 2,6 व 7 की भ्रामक, तोडमरोडकर व टरकाने वाला कृत्य करते हुये अवगत करा दिया गया है, जो कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कोई सम्मान व अनुपालन करने की मानसिकता लोक सूचना अधिकारी में दृष्टिगोचर नहीं हो रही है और उक्त अधिनियम उनके लिये नहीं बना है। बिन्दु सं0 2 को बहुत ही चालाकी से नकारा गया है, जबकि कार्यालय में धारित सर्वे एवं मुआवजा भुगतान की अभिलेखीय सूचना धारित चली आती है।यदि बिन्दु सं0 1 से 7 की अभिलेखीय सूचना नहीं दी जायेगी, तो मुआवजा भुगतान में लोकधन की हुई भारी क्षति व भ्रष्टाचार का पता कहां से लग पायेगा। इसलिये आवेदक को सद्भावी तौर पर बिन्दु सं0 1 से 7 की सम्पूर्ण सूचना, जिस रूप में चाही गयी है, उस रूप में आवश्यकता है।

6— यह कि लोक सूचना अधिकारी का कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के विपरीत है जिस पर संज्ञान लेकर संगत कार्यवाही की जानी उचित एवं आवश्यक है।

अतःश्रीमान्जी से प्रार्थना है कि अपीलकर्ता की अपील उक्त दर्ज रजिस्टर कर अपील की शीघ्र सुनवाई कर अपील का समुचित निस्तारण कर अपीलकर्ता को आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 1 से 7 तक की समस्त वांछित सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां, जिस रूप में चाही गयी हैं, उस रूप में लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम का समादरपूर्ण अनुपालन में निःशुल्क दिलाने सहित उनके विरूद्ध संगत कार्यवाही करने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

दिनांक 23—02—2024 ई0।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार। अपीलकर्ता

रामकुमार चौधरी

रामकुमार चौधरी,
चौधरी भवन, डिफेन्स कालोनी, मोहनपुरा
मौहम्मदपुर, परगना व तहसील रूडकी, जिला
हरिद्वार (मो0नं0 9719919400)।

संलग्नक-1

अति आवश्यक / रजि0डाक से

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना / प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / सक्षम अधिकारी
पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र–1
एस0सी0ओ0 5 से 10, सैक्टर 16ए, निकट मैट्रो हॉस्पिटल,
फरीदाबाद–121 002 हरियाणा।

महोदय,

आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं / प्रमाणित छाया प्रतिलिपियों की यथाशीघ्रता से आवश्यकता है। आवेदन पत्र के शुल्क के रूप में नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर सं0 IN-UK01126316364813W dt. 27.01.2024 मूल्य ₹ 10/–भरकर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है। प्रतियों का अनुमानित शुल्क ₹ 100/– भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 53एच 319191, व ₹ 100/– भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 53एच 319192, व ₹ 100/– भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 53एच 319195, प्रतियों का कुल शुल्क ₹ 300/– भरकर मूल रूप में संलग्न है। अन्य प्रतियों का जो भी शुल्क बनता है वह बताये जाने पर आवेदक देने को तैयार है।

सन्दर्भ– **श्री शेर सिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी** साल्हापुर, परगना व तहसील रूडकी, **जिला हरिद्वार द्वारा कृषि भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा सं0 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर** स्थित मौजा बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रूडकी, **जिला हरिद्वार भूमि** की बाबत जाली व फर्जी **एन्ट्री कर कराकर पेडों को वर्ष 2013, 2014 व 2015 की जिस समयावधि के दौरान कटवाये जाने का पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन से मुआवजा प्राप्त करने सम्बन्धी अभिलेखीय** सूचना / प्रमाणित **छाया प्रतिलिपियां।**

1– यह कि पॉवर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा मौजा ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार में लाईन बिछाने हेतु वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में जिन जिन काश्तकारों की भूमि में को लाईन बिछायी गयी, उन प्रभावित काश्तकारों के नाम, पिता का नाम व पता व भूमि खसरा सं0 की अभिलेखीय सूचना / प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

2– यह कि उक्त मौजा बेलडी साल्हापुर की जिस जिस भूमि में पॉवर ग्रिड लाईन बिछायी गयी, उस भूमि के प्रत्येक प्रभावित काश्तकार के लाईन क्षेत्र में जितने जितने पेड जिस जिस प्रजाति के सर्वे में पाये गये, सर्वे सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

3– यह कि उक्त सर्वे सीट के अनुसार सहखातेदारों **श्री शेर सिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रूडकी,** जिला हरिद्वार की उक्त कृषि भूमि **खाता संख्या 00265 के खसरा सं0 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर स्थित मौजा बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रूडकी,** जिला हरिद्वार में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा विद्युत पारेशन लाईन स्थापित करने के

लिये उक्त भूमि में दर्शित पेडों पोपुलर, आम 95 पेड, शीशम 7 पेड, जमोया 5 पेड, कुकाट 1 पेड, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 जिस समयावधि में पाये गये, उद्धरण खतौनी व सर्वे सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

4— यह कि बिन्दु सं0 3 के काश्तकारों की भूमि में उक्त पॉवर ग्रिड लाईन बिछाने हेतु जिस जिस प्रजाति के जितने जितने पेड, जितने—2 घनमीटर लकडी की पैमाईश के पाये गये, जिनका मुआवजा जिस आधार पर निर्धारित किया गया, कैलकुलेशन सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

5— यह कि सहखातेदारों **श्री शेरसिंह, समर सिंह,ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रूडकी,जिला हरिद्वार को जो उक्त क्षतिपूर्ति** मुआवजा जितने जितने धनराशि का दिया गया, धनराशि, चेक संख्या दिनांक का अभिलेखीय विवरण की सूचना, जिस खातेदार/सहखातेदार के बैंक खाता में दिया गया अथवा जिस माध्यम से जितना भुगतान दिया गया,की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

6— यह कि उक्त सहखातेदारों **श्री शेरसिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार की ओर से एवं अन्य विभागों जैसे उद्यान विभाग, वन विभाग आदि की ओर से उक्त पेडों को काटने के लिये जो अनापत्ति/अनुमति प्राप्त की गयी थी, जिसके आधार पर पेड काटे गये, की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।**

7— **यह कि ऐसा अपुष्ट जानकारी में आया है कि उक्त सहखातेदारों ने जाली व फर्जी इन्द्राज उद्धरण खतौनी में कर कराकर पॉवर ग्रिड को धोखा देकर पेडों का मुआवजा प्राप्त किया गया है,** ऐसे में उक्त विद्युत पारेशन लाईन स्थापित करने के लिये उक्त भूमि में खडे पेडों पोपुलर, आम 95 पेड, शीशम 7 पेड, जमोया 5 पेड, कुकाट 1 पेड, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में दौरान सर्वे लिये गये स्थलीय फोटोग्राफ आदि की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

आवेदक को उपरोक्त बिन्दु की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपियों की यथाशीघ्रता से आवश्यकता है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आवेदक को उपरोक्त बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, जिस रूप में चाही गयी है, उस रूप में आवेदक के निम्नलिखित डाक पता पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

दिनांक 29—01—2024 आवेदक

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

रामकुमार चौधरी पुत्र स्व0 चौहल सिंह उर्फ चूहड सिंह नि0ग्राम लखनौता, परगना मंगलौर, तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार, हाल नि0 चौधरी भवन,डिफेन्स कालोनी,मोहनपुरा मौहम्मदपुर, परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार। मो0नं0 9719919400

सत्यमेव जयते

IN-UK01126316364813W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK01126316364813W
Certificate Issued Date	:	27-Jan-2024 01:58 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1217504/ ROORKEE/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121750408900913295830W
Purchased by	:	RAM KUMAR CHAUDHARY
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	RAM KUMAR CHAUDHARY
Second Party	:	RTI
Stamp Duty Paid By	:	RAM KUMAR CHAUDHARY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

...का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना/प्रमाणित छाया ...पियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का शुल्क

सेवा में,

Please write or type below this line

लोक सूचना अधिकारी/सक्षम अधिकारी
पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र–1
एस0सी0ओ0 5 से 10, सैक्टर 16ए, निकट मैट्रो हॉस्पिटल,
फरीदाबाद–121 002 हरियाणा।

दिनांक 27–01–2024

आवेदक

रामकुमार चौधरी पुत्र स्व0 चौहल सिंह उर्फ चूहड सिंह नि0ग्राम लखनौता, परगना मंगलौर, तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार, हाल नि0 चौधरी भवन,डिफेन्स कालोनी,मोहनपुरा मौहम्मदपुर, परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार।
मो0नं0 9719919400

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

RAM KUMAR CHAUDHARY RAM KUMAR CHAUDHARY RAM KUMAR CHAUDHARY

संलग्नक-2

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2292/420 दिनांक:14.02.2024

सेवा में,

श्री रामकुमार चौधरी
पुत्र स्व0 चौहल सिंह उर्फ चूहड सिंह,
निवासी ग्राम लखनौता, परगना मंगलौर, तहसील रुडकी,
जिला हरिद्वार (मो. न.9719919400)

हाल पता:

श्री रामकुमार चौधरी
चौधरी भवन, डिफेंस कालोनी, मोहनापुरा मौहम्मदपुर,
परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार (मो. न.9719919400)

विषय :आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2024 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपका आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2024 जो कि पावरग्रिड फरीदाबाद स्थित कार्यालय में 01.02.2024 को प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी कृषि भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा सं0 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर 2013, **2014** व 2015 की जिस समयावधि के दौरान कटवाये जाने के सम्बंध में है वह निम्नलिखित है:

बिंदु न.	बिंदुसार	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	यह कि पॉवर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा मौजा ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में लाईन बिछाने हेतु वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में जिन जिन काश्ताकारों की भूमि में को लाईन बिछायी गयी, उन प्रभावित काश्तकारों के नाम, पिता का नाम व पता व भूमि खसरा सं0 की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	मांगी गई जानकारी प्रभावित काश्तकारों कि निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) एवं (जी) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है।
2	यह कि उक्त मौजा बेलडी साल्हापुर की जिस जिस भूमि में पॉवर ग्रिड लाईन बिछायी गयी, उस भूमि के प्रत्येक प्रभावित काश्तकार के लाईन क्षेत्र में जितने जितने पेड जिस जिस प्रजाति के	सर्वे के समय टावर या लाईन कॉरिडोर में आने वाले पेडो का रिकॉर्ड होता है लेकिन सर्वे के समय प्रभावित काश्तकार की जानकारी नही होती है

...2

Rajmohan
रामकुमार चौधरी

	सर्वे में पाये गये, सर्वे सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	यह सब जानकारी बाद में जुटाई जाती है। अतः प्रभावित काश्तकार को उनके प्रभावित पेडो के अनुसार नोटिस दिया जाता है। नोटिस में निहित जानकारी प्रभावित किसान कि निजी जानकारी है इसलिए नही दी जा सकती।
3.	यह कि उक्त सर्वे सीट के अनुसार सहखातेदारों श्री शेर सिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार की उक्त भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा सं0 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर स्थित मौजा बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा विधुत पारेषन लाईन स्थापित करने के लिये उक्त भूमि में दर्शित पेडों पोपुलर, आम 95 पेड, शीशम 7 पेड, जमोया 5 पेड, कुकाट 1 पेड, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 जिस समयावधि में पाये गये, उद्धरण खतौनी व सर्वे सीट की प्रामाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	खतौनी से सम्बंधित दस्तावेज प्रभावित काश्तकार के निजी रिकॉर्ड है जो आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) के तहत नही दिया जा सकता।
4	यह कि बिंदु सं0 3 के काश्तकारों की भूमि में उक्त पॉवर ग्रिड लाईन बिछाने हेतु जिस जिस प्रजाति के जितने जितने पेड, जितने-2 घनमीटर लकडी की पैमाईश के पाये गये, जिनका मुआवजा जिस आधार पर निर्धारित किया गया, कैलकुलेशन सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	मांगी गई जानकारी प्रभावित काश्तकारों कि निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है।
5	यह कि सहखातेदारों श्री शेरसिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह निवासी ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार को जो उक्त क्षतिपूर्ति मुआवजा जितने जितने धनराशि का दिया गया, धनराशि, चैक संख्या दिनांक का अभिलेखीय विवरण की सूचना, जिस खातेदार/सहखातेदार के बैंक खाता में दिया।	मांगी गई जानकारी प्रभावित काश्तकारों कि निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है।
6	यह कि सहखातेदारों श्री शेरसिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह निवासी ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार की ओर से एवं अन्य विभागों जैसे उधान विभाग, वन विभाग आदि की और से उक्त पेडों को काटने के लिये जो अनापत्ति/अनुमति प्राप्त की गयी था, जिसके आधार पर पेड काटे गये, की	आपको अवगत कराना है कि पेडो का पातन पावरग्रिड द्वारा नही किया गया है यह खुद प्रभावित काश्तकारो द्वारा किया गया है जिसके उप्रांत ही मुआवजा दिया गया है।

...3

	अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	
7	यह कि ऐसा अपुष्ट जानकारी में आया है कि उक्त सहखातेदारों ने जाली व फर्जी इंद्राज उद्धरण खतौनी में कर कराकर पॉवर ग्रिड को धोखा देकर पेडों का मुआवजा प्राप्त किया गया है, ऐसे में उक्त विधुत पारेषण लाईन स्थापित करने के लिये उक्त भूमि में खडे पेडों पोपुलर, आम 95 पेड, शीशम 7 पेड, जमोया 5 पेड, कुकाट 1 पेड, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में दौरान सर्वे लिये गये स्थलीय फोटोग्राफ आदि की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	मांगी गई जानकारी सम्बंधित कार्यालय के पास उप्लब्ध नही है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

[जी. पी. पत्रासी]
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.**0129-2666305**

पावरग्रिड
POWERGRID

420

EMS, SPEED POST, FBD
पावरग्रिड/POWERGRID
15 FEB 2024
Code No.HR-FBD-135
Sector 16A, Faridabad-121002

EMS SPEED POST
EH169660411IN

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

(137)

By Regd. Post

RV 85526625 1IN

U676
कुमारस्वरूप

सेवा में,
श्रीमान् प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी /
कार्यकारी निदेशक (उ० क्षे० 1) पावर ग्रिड
कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, उ० क्षे० 1 मुख्यालय
एस० सी० ओ० के, संख्या 5-10, सैक्टर-16 A
फरीदाबाद, हरियाणा।
Pin Code - 121002

प्रेषक -
राजकुमार चौधरी द्वारा चौधरी भवन
डिफेन्स कालोनी, मोहनपुरा मौहम्मदपुर
उपक्षेत्र - मिलापनगर, रुड़की
जिला- हरिद्वार । Pin-247667
उत्तराखण्ड
मो० 9719919400

27 FEB 2024 4676
प्राप्ति किया/RECEIVED

भारतीय डाक
India Post

RV855266251IN
Counter No:1,23/02/2024,13:36

Amt:37.76(Cash)Wt:52gms
,REG=17.0

From:ROORKEE KUTCHERY SO <247667>
rom: Hub
: Hub
l PO:Faridabad Sector 16a SO<121002>